संख्या–1914/सेक–2–पांच–14–5(114)/2014

प्रेषक,

डा0 काजल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,**
उ0प्र0।

2. **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका,**
जिला पुरूष/महिला/संयुक्त चिकित्सालय,
उ0प्र0।

चिकित्सा अनुभाग–2 **लखनऊ : दिनांक: 19 जून, 2014**

विषयः–अनुपस्थित चिकित्साधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि जनपद स्तर पर तैनात चिकित्साधिकारी शासन द्वारा अन्य जनपद में स्थानान्तरित किये जाने के फलस्वरूप काफी लम्बे समय तक या तो कार्यभार नहीं ग्रहण करते हैं या कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हो जाते हैं। इसी तरह कतिपय चिकित्साधिकारी अन्य कारणों से भी लम्बे समय तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते हैं। यह स्थिति अत्यन्त ही खेदजनक है। इससे जहां एक ओर चिकित्साधिकारियों द्वारा अनुशासनहीनता की जाती है वहीं दूसरी ओर संबंधित जनपद की चिकित्सा व्यवस्था भी प्रभावित होती है। जनसामान्य को सुचारू रूप से चिकित्सा व्यवस्था न मिल पाने से शासन की छवि भी प्रभावित होती है।

2– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद स्तर पर इस तरह के एक माह की अवधि से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित चिकित्साधिकारियों की एक सूची तैयार कर ली जाय तथा यदि उनके द्वारा कार्यभार नहीं ग्रहण किया गया है, तो कार्यभार ग्रहण न किये जाने के संबंध में अथवा किसी अन्य कारण से अनधिकृत रूप से अनुपस्थिति के सम्बन्ध में विधिवत् आरोप–पत्र तैयार कर उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव संस्तुति सहित शासन को सप्ताह में उपलब्ध कराया जाय।

3– यह भी उल्लेखनीय है कि यदि शासन के संज्ञान में यह लाया जाता है कि आपके जनपद में तैनात किसी चिकित्साधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण किये जाने हेतु अवमुक्त नहीं किया गया है, तो यह माना जायेगा कि आपके द्वारा उसे प्रश्रय दिया जा रहा है और इस हेतु आपके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

4– कृपया उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए वांछित सूचना/आरोप–पत्र तैयार कर समयबद्ध रूप से शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीया,
19/6
(डा0 काजल)
विशेष सचिव।

संख्या–1914 (1)/सेक–2–पांच–2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
(2) निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
(3) समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित चिकित्साधिकारियों को चिन्हित करते हुए उनकी सूची तैयार कराकर शासन को उपलब्ध करायें।
(4) गार्ड बुक।

आज्ञा से,
मधु जोशी
(मधु जोशी)
संयुक्त सचिव।